

प्रपत्र - 2

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर
संभाग :— प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान

पत्रांक : BEP/RTE/Ren/156/18/19/160/1383 दिनांक : 21/12/2019
 सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

संत श्री शफ पठिणी उच्चालय, छलसी उच्चालय

प्रखण्ड - छलसी उच्चालय

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 1 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्त्रीकृति का प्रमाण-पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक ४.१.२०१९ और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय संत श्री शफ पठिणी उच्चालय (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) उच्चालय कक्षा से ग्राहकी तक संचालन हेतु तीन वर्षों अक्टूबर 2016 से अगस्त 2019 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्त्रीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्त्रीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :—

1. प्रस्त्रीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बार मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उपर प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परंतु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुशारण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का दिवरण निम्नवत् है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - ०२ एकड़ २१५०

कुल निर्मित क्षेत्र १६७.३०/१६ एकड़ ८५५

खेल के मैदान का क्षेत्र ४०० एकड़ १०५

वर्गकक्षों की कुल संख्या १०६

प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भण्डार कक्ष ०२

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय ३पलट्ट्य

पेयजल की सुविधा ३पलट्ट्य

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर

बाधारहित पहुँच ४

शिक्षक अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय ३पलट्ट्य
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्त्रीकृति कोड संख्या 34M DAL 001 है। इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा समय—समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक -- III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

*Smt
21/12/18*

विश्वासभाजन,

MP
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
समस्तीपुर।